

राजस्थान सरकार  
वित्त विभाग  
(आय-व्ययक अनुभाग)

प.4(254)वित्त-1(1)आ.व्यय/2012/.

जयपुर, दिनांक: 28.03.14

संबंधित कोषाधिकारी,  
राजस्थान।

(स्वीकृति संख्या- 93) /2013-14)

विषय-वित्तीय वर्ष 2013-14 में पंचायत समितियों के पी.डी. खातों में राशि का हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पत्र क्रमांक एफ 139( )पत्राधि/लेख/सुंगी/अनु.आवंटन/2013-14/1948 दिनांक 27.03.2014 (प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सं. 71/2013-14) के साथ संलग्न सारणी एवं शर्तों के अनुसार राशि रु. 44.90 लाख (अठारह रु. चौदावीस लाख नब्बे हजार) मात्र निम्न बजट मद से प्रभार्य करते हुए संबंधित पंचायत समितियों के निजी निशेध खातों में उनके सम्मुख अकिजानुसार हस्तान्तरित कर दी जावे।

--व्यय निम्नानुसार विकस्य है :-

भाग सं. 41

(राशि लाख रु. में)

बजट मद

2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

190-ग्राम पंचायती को सहायता

(02)-ग्राम पंचायतों को कर पंजी की एच में अनुदान

[01]-संस्थापन

12-सहायकार्य अनुदान (गैर संवेलन) आयोजना भिन्न

(संलग्न सारणी अनुसार)

रु. 44.90 लाख

इस संबंध में महालेखाकार को भुगतान विवरण पत्र के साथ भेजे जाने वाले बाउंडर्स में संबंधित पंचायत समितियों का नाम इस स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक भुगतान मद का विवरण एवं आयोजना भिन्न दर्शाते हुए अंकित किया जावे।

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के लक्ष्यों के लिए ही किया जायेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा। आदर्श चुनाव आयोग सहित के प्राक्कनों के पालन का दायित्व प्रशासनिक विभाग/संबंधित विभाग का होगा तथा आवश्यकता होने पर निर्वाचन विभाग से अनुमति प्रशासनिक विभाग/संबंधित विभाग द्वारा प्राप्त की जाएगी।

भवदीय

(एम.एल. आचार्य)

उप शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिष्ठित:-

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर को 5 प्रतियों सहित।
2. निजी सहायक, शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
4. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सम्बंधित।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति सम्बंधित।
6. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त (संयुक्त निदेशक) (कम्प्यूटर सैल) विभाग, जयपुर।
7. लेखाकार, वित्त (बजट) विभाग।
8. वित्त पत्रवाली।

उप शासन सचिव, वित्त (बजट)